jkf"Vªª; laLd`r laLFkku

ekfur fo'ofo|ky;

56&57 laLFkkxr {ks=] tudiqjh

ubZ fnYyh&110058

<u>;kstuk foHkkx</u>

^^laLd`r fodkl ;kstuk** dh
12oha vuqnku lfefr dh cSBd dk vuqeksfnr dk;ZoÙk

fnukad % 7 Qjojh] 2012

le; % 11 cts ¼iokZgu½

LFkku % jkf"Vª; laLd`r laLFkku e[;ky;] ubZ fnYyhA

jkf"V; lLd`r lLFkku

ekfur fo'ofo|ky;
56&57 lLFkkxr {k=] tudiqjh
ubZ fnYyh&110058

vuqnku lfefr d lnL;k dh lwph

1.	श्री अनन्त कुमार सिंह संयुक्त सचिव (भाषाएँ एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय) उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री नवीन सोई निदेशक, (वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3.	प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी कुलपति, रा.सं.सं., नई दिल्ली	सदस्य
4.	डॉ. सुदर्शन शर्मा कुलपति, एस.वी. वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरूपति	सदस्य
5.	डॉ. सुधा रानी पाण्डेय कुलपति, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	सदस्य
6.	प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी कोआर्डिनेटर, आई.जी.एन.सी.ए. वाराणसी	सदस्य
7.	प्रोफेसर पी.एन शास्त्री निदेशक, कालिदास एकेडमी, उज्जैन,	सदस्य
8.	प्रोफेसर मानबेंदु बनर्जी मानद सचिव, संस्कृत साहित्य परिषद्, कोलकाता	सदस्य
9.	आचार्य, के.बी. सुब्बरायुडु कुलसचिव, रा.सं.सं., नई दिल्ली	सदस्य सचिव

jkf"Vª; lLd`r lLFkku dh 12oha vuqnku lfefr dh cSBd dk dk;Zo`Ùk

vuqnku lfefr dh fnukad 7 Qjojh] 2012 dks lEiUu gqbZ cSBd esa fuEufyf[kr lnL; mifLFkr FksA

1. श्री अनन्त कुमार सिंह संयुक्त सचिव (भाषाएँ एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय) उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2. श्री नवीन सोई निदेशक, (वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3. प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी कुलपति, रा.सं.सं., नई दिल्ली	सदस्य
4. डॉ. सुदर्शन शर्मा कुलपति, एस.वी. वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरूपति	सदस्य
5. डॉ. सुधा रानी पाण्डेय कुलपति, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	सदस्य
6. प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी कोआर्डिनेटर, आई.जी.एन.सी.ए. वाराणसी	सदस्य
7. प्रोफेसर पी.एन शास्त्री निदेशक, कालिदास एकेडमी, उज्जैन,	सदस्य
8. प्रोफेसर मानबेंदु बनर्जी मानद सचिव, संस्कृत साहित्य परिषद्, कोलकाता	सदस्य
9. आचार्य, के.बी. सुब्बरायुडु कुलसचिव, रा.सं.सं., नई दिल्ली	सदस्य सचिव
10. श्री पवन मेहता, अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	विशेष आंमत्रित सदस्य

डॉ० एस० एन० तिवारी उपनिदेशक (शोध एवं प्रकाशन) तथा डॉ० नोदनाथ मिश्र, वरिष्ठ कार्यपालक (योजना) भी बैठक में उपस्थित थे।

कुलसचिव महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

iLrko l-&12-1- fiNyh vuqnku lfefr dh cSBd fnukad 1-8-2011 ds dk;Zo`Ùk dh iqf"V dh xbZA

iLrko l-&12-2- f'k{kk foHkkx] jkT; ljdkj ds }kjk laLrqr u, ikjEifjd laLd`r ikB'kkykvksa@laLd`r egkfo|ky;ksa@Lo;alsoh laxBuksa laLd`r laLFkkvksa esa laLd`r f'k{kd rFkk vU/kkfud f'k{kdksa ds osru vuqnku ds fy, iLrkoksa ij fopkj ,oa vuqeksnuA

अनुदान प्रस्तावों के संबंध में विचार करने के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी अनुशंसा या निरस्तीकरण के लिए स्पष्ट मानदंड (Criteria) निर्धारित नहीं हैं। निर्णय की एकरुपता एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अनुदान की पात्रता के मानक हों तथा उसके लिए अपनायी जाने वाले प्रक्रिया भी पूर्व निर्धारित हो। योजना को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से प्रक्रिया सरल किंतु 'फूलप्रूफ' होनी चाहिए। अतः इस हेतु कुलपति की अध्यक्षता में अनुदान समिति के 5 सदस्यों की उपसमिति द्वारा प्रस्तावों के लिए मानदंड निर्धारित कर उसी आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

iLrko l-&12-3- igys ls vuqnku ik jgs Lo;alsoh laxBuksa@ikjEifjd laLd`r ikB'kkykvksa@laLd`r fo|ky;ksa@egkfo|ky;ksa esa laLd`r f'k{kdksa] vk/kqfud fo"k; f'k{kdksa vkSj Nk=ofÙk dh la[;k esa c<+ksrjh **(Enhancement)** ds fy, iLrkoksa ij fopkjA

प्रस्ताव संख्या–12.2 पर लिए गए निर्णय के अनुसार।

iLrko l-&12-4- jkT; ljdkj ds lSd.Mjh@gk;j lSd.Mjh fo|ky; esa laLd`r v/;kid fu;qfDr ds fy, vuqnku iLrko ij fopkjA

राज्य सरकारों के सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्कूल के एक–एक संस्कृत शिक्षक के वेतन अनुदान के लिए केवल सिक्किम राज्य से दो प्रस्ताव संस्थान में प्राप्त हुए हैं। अतः राज्य सरकार सिक्किम द्वारा अग्रसारित/संस्तुत दो प्रस्तावों को अनुदान समिति ने स्वीकृति दी। इस मद में बजट में #- 50 yk[k हैं और अब तक व्यय की गई राशि #- 36-42 yk[k है। शेष उपलब्ध राशि #- 13-58 yk[k है।

कुल 2 अनुशंसित राज्य सरकार के सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी विद्यालय में संस्कृत अध्यापक की नियुक्ति के लिए #- 1-44 yk[k की राशि व्यय होगी। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट से अनुदान दिया जाएगा।

iLrko l-&12-5-'kkL= pwMkef.k fo}kuksa dh fu;qfDr ds fy, ikIr vkosnu i=@vuqnku iLrkoksa ij fopkj ,oa Lohd`frA

शास्त्र चूड़ामणि विद्वानों की नियुक्ति के लिए अनुदान समिति ने 44 प्रस्तावों को मापदण्डों के आधार पर चार्ट बनाकर वरीयता क्रम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

iLrko l-&12-6- 0;kolkf;d ikf'k{k.k dk;Øe ;kstuk ds varxZr f'kfoj vk;ksftr djus ds fy, iLrkoksa ij fopkjA

प्रस्ताव संख्या–12.2 पर लिए गए निर्णय के अनुसार।

iLrko l-&12-7- LoSfPNd lLd`r lxBuk@fo'ofo|ky;k lh-ch-,l-lh@ ,u-lh-vkj-Vh- vkfn dk fof'k"V ifj;kstuk dk;l ds fy, foRrh; lgk;rk nus ij fopkjA

स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/विश्वविद्यालयों आदि के विशिष्ट परियोजना के 47 प्रस्ताव संस्थान को प्राप्त हुए उनमें से विषय का महत्व तथा उपयोगिता एवं मांग की गयी राशि आदि की दृष्टि से गहन–विचार करके 8 प्रस्तावों को पूर्व संवीक्षा समिति ने अनुमोदित करने की अनुशंसा की।

अनुदान प्रस्तावों के संबंध में विचार करने के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी अनुशंसा या निरस्तीकरण के लिए स्पष्ट मानदंड (Criteria) निर्धारित नहीं हैं। निर्णय की एकरुपता एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अनुदान की पात्रता के मानक हों तथा उसके लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी पूर्व निर्धारित हो। योजना को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से प्रक्रिया सरल किंतु 'फूलप्रूफ' होनी चाहिए। अतः इस हेतु कुलपति की अध्यक्षता में अनुदान समिति के 5 सदस्यों की उपसमिति द्वारा प्रस्ताव के लिए मानदंड निर्धारित कर उसी आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

कुलपति, रा.सं.सं. ने कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में अखिल भारतीय ओरियंटल सम्मेलन आयोजित करने के लिए #- 58-56 yk[k के अनुदान प्रस्ताव को पूर्व संवीक्षा समिति ने अनुदान समिति के विचारार्थ संदर्भित किया है। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष किसी विश्वविद्यालय में आयोजित होता है। इस प्रकार के 2 तिरूपति तथा जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व सम्मेलनों के लिये #- 20 yk[k की राशि प्रत्येक के लिए दी जा चुकी है। श्रीनगर में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कश्मीर संस्कृत विद्या का प्राचीन केंद्र रहा है। इस समय वहाँ संस्कृत अध्ययन की स्थिति चिन्तनीय है। पूरे देश से संस्कृत विद्वानों के वहाँ आयोजित सम्मेलन से संस्कृत अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है। अतः vizSy] 2012 में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट से #- 20 yk[k का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान समिति ने इसकी स्वीकृति दी।

iLrko l-&12-8- LoSfPNd lLd`r lxBuk@lLd`r ikB'kkykvk@fo|ky;k@ egkfo|ky;k ds mu iLrkoka ij fopkj ftudk fujh{k.k rhu o"kk ds ckn dj fy;k x;k g vkj fujh{k.k ifrosnu lrks"ktud gA

पिछली अनुदान समिति की बैठक में जिन स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/ विद्यालयों आदि का संस्कृत अध्यापक वेतन तथा छात्रवृत्ति अनुदान तीन वर्ष तक निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण स्वीकृत नहीं हुआ था, उनमें से 07 राज्यों के 76 विद्यालयों का निरीक्षण कर लिया गया है, और 01.08.2011 की अनुदान समिति के निर्देशानुसार उनका प्रतिवेदन संतोषजनक होने के कारण वर्तमान बैठक में विचार हेतु रखा गया है। अनुदान समिति को कुलसचिव ने तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया कि निरीक्षित विद्यालय अनुदान की सभी शर्तें पूरी करते है।

इस मद में वर्ष 2011–12 के लिए vkcfVr jkf'k #- 597 yk[k में से अब तक निर्गत अनुदान की राशि #- 456-64 लाख है। 'ks"k jkf'k #-140-36 yk[k उपलब्ध है। इस मद के लिए v/;kid osru vuqnku rFkk Nk=ofÙk vuqnku ij #- 136-14 yk[k की राशि अपेक्षित है। अनुदान समिति ने विचार व्यक्त किया कि तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक संस्था का एक–बार निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय। इसके अतिरिक्त जब कभी संस्थान के अन्य कार्यक्रमों में विद्वानों का दल, उन सथानों में या आसपास के क्षेत्र में जाएँ तो उनसे सहायता

प्राप्त संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी कराया जायें। तत्पश्चात् निरीक्षित 76 विद्यालयों के लिए निम्नानुसार अनुदान स्वीकृत किया गया।

140 पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए वेतन अनुदान रु. 100.80 लाख
4 अशंकालिक शिक्षकों के लिए वेतन अनुदान रु. 0.72
1154 छात्रवृत्ति के लिए वेतन अनुदान रु. 34.62 लाख
;kx%&#- 136-88 yk[k

iLrko l-&12-9- if’pe cxky dh ikjEifjd lLdr lLFkkvk@pr|"ikfB;k d vuqnku dh Lohdfr ij fopkjA

पश्चिम बंगाल की 204 संस्थाओं को, जिनका निरीक्षण नही हुआ, अनुदान अनुमोदित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। इन संस्थाओं का, मंत्रालय से योजना संबंधी कार्य, संस्थान को o"k 1994&1995 b- में स्थानांतरित होने के समय तक, प्रायंः निरीक्षण नही हुआ था। अनुदान के रूप में इन संस्थाओं को बहुत कम राशि लगभग #- 18]000@& या #- 21]000@& प्रति संस्था प्रतिवर्ष एक अध्यापक का वेतन दिया जाता है। इनक निरीक्षण पर प्रति संस्था इससे अधि धनराशि का का व्यय होगा। अतः इन्हें इस वर्ष अनुदान दे दिया जाए। ये संस्थाएँ पश्चिम बंगाल में विद्वानों के घरों में चलती हैं, जो लगभग 15 छात्रों को पढ़ाते है। इन प्रस्तावों को संस्तुत करके बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद्, (कोलकाता) भेजती रही है और उसी की मान्यता से अनुदान देने की परंपरा चल रही है। इस मद पर 204 संस्थाओं के लिए #- 39-12 yk[k की राशि व्यय होगी।

अनुदान समिति ने वर्णित विशेष परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए अनुदान को निर्गन करने की स्वीकृति दी तथा साथ ही यह भी अपेक्षा की कि चूंकि अलग–अलग संस्थाओं का निरीक्षण खर्चीला है, अतः सामूहित निरीक्षण अगले वर्ष पश्चिम बंगाल के आदर्श विद्यापीठों के माध्यम से निरीक्षण करवा लिया जाए ताकि इनकी उपादेया समझी जा सके।

iLrko l-12-10& lEeku jkf’k inku dju d ekun.M%

अ. अभाव ग्रस्त स्थिति मे रह रहे पण्डित की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
ब. अभाव ग्रस्त स्थिति मे रह रहे पण्डित की आय प्रतिवर्ष रु. 24000/– से कम होनी चाहिए।

iLrko l-&1¼v½ Åij fy[k ekn.Mk d vk/kkj ij fuEufyf[kr fo}kuk d fy, lEeku jkf’k dk vuqnku lfefr u inku dju ¼#- 24000@& dh½ Lohdfr nhA

¼d½ Jh xkfoUn feJ] lfpo, राम गोपाल चतुष्पाठी पूर्ण चन्द्र घोष रोड, जिलाः नाडिया, वेस्ट बंगाल को सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी।

¼[k½ निम्नलिखित पण्डितो को अनुदान समिति ने उनके नाम के सामने उल्लिखित शर्तो पर अनुदान देने की स्वीकृति दी।

I. Jh Yk{e.kkpk;Z iMjh, (धारवाड) की वार्षिक आय का प्रमाण रु. 24000/– से कम होने की स्थिति में जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुदान दिया जा सकता है।

II. fnu'k pUn HkVVkpk;Z का आय प्रमाण पत्र जिलाधीष से प्रमाणित करा कर उपलब्ध होने पर अनुदान दिया जा सकता है।

संस्थान में कुल 7 आवदेन प्राप्त हुए जिसमें से ऊपरलिखित 3 आवेदनों की अनुदान समिति ने सिफारिश की। 3 पंडितों के लिए प्रतिवर्ष रु. 24,000/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से रु. 72,000/– का अनुदान देने की अनुदान समिति ने स्वीकृति दी।

¼c½- fuEufyf[kr if.Mrk d vunku iLrko dk lfefr u mudh me 55 l de gku d dkj.k l fujLr fd;kA

1. श्री खगेष झा, मधुबनी, बिहार
2. श्री जयन्त लाल गोस्वामी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल
3. श्री शक्ति पद मुखर्जी, हुगली, वेस्ट बंगाल
4. कुमारी शिवानी वर्मा, ओरंगाबाद, बिहार

iLrko l-&12-11 Jh i[kjkebam dkfeuhekgu fl g dk vunku lfefr u 2004&05 l 2009&10 rd cdk;k vunku #- 144000@& mu o"kk e n; vunku d fg lkc l inku dju dh Lohdfr nhA

श्री पुखरामबम कामिनीमोहन सिंह ने आवेदन किया था कि उन्हें प्रतिवर्ष सम्मान राशि मिलती थी परंतु 2004–05 से मिलनी बंद हो गई। कुलसचित ने अवगत कराया कि मंत्रालय से स्कीम के ट्रांसफर पर जो कागजात मिले थे उनमें इनका नाम न होने के कारण उन्हें सम्मान राशि नहीं दी जा रही थी। अब राज्य सरकार से संबंधित कागजात प्राप्त हो गए है जिससे इनके दावे की पुष्टि होती है। निर्धारित मानदंड पूरे होने के कारण अनुदान समिति की बैठक दिनांक 17.6.2010 में नए केस के रूप में इन्हें अनुदान देने की स्वीकृति दी गई। अब अनुदान समिति के समक्ष श्री पुखरामबम कामिनीमोहन सिंह को वर्ष 2004–05 से 2009–10 (6 वर्ष) तक का बकाया अनुदान प्रतिवर्ष रु. 24,000/– के हिसाब से रु. 1,44,000/– प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस मद में o"k 2011&12 के लिए कुल बजट #- 80 yk[k है। दिनांक 10.2.2012 तक #- 52-20 yk[k की राशि व्यय की गई। शेष उपलब्ध राशि रु. 27.80 लाख है।

अनुदान समिति ने 3 पंडितों, श्री गोविन्द मिश्र, श्री लक्ष्मणाचार्य पंडरी एवं श्री दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य के लिए प्रतिवर्ष रु. 24,000/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से रु. 72,000/– तथा श्री पुखरामबम कामिनीमोहन सिंह को वर्ष 2004–05 से 2009–10 (6 वर्ष) तक की शेष राशि का भुगतान रु. 1,44,000/– प्रदान करने की स्वीकृति दी। अतः वर्तमान स्वीकृत कुल राशि–

रु. 72,000/– + रु. 1,44,000/– = रु. 2,16,000/– है।

vfrjDr iLrko l[;k&12-12 मानदंडों को निर्धारित करने तथा तदनुसार प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक उप–समिति गठित की गई।

1.	प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी कुलपति, रा.सं.सं., नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी कोआर्डिनेटर, आई.जी.एन.सी.ए. वाराणसी	सदस्य
3.	श्री नवीन सोई निदेशक, (वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य

4. श्री पवन मेहता, अवर सचिव, सदस्य
उच्चतर शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार नई दिल्ली

5. आचार्य, के.बी. सुब्बरायुडु सदस्य सचिव
कुलसचिव, रा.सं.सं., नई दिल्ली

समिति से अपेक्षा की गई कि वे अपनी संस्तुति शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि पात्र संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनुदान मिल सके। यदि इस वित्तीय वर्ष में अनुदान समिति की बैठक बुलाना संभव न हो सके तो कुलपति समिति की संस्तुतियों के अनुसार अनुदान अवमुक्त करेंगें तथा पूरी स्थिति अनुदान समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर हेतु प्रस्तुत करेंगें।

बैठक सभी को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई